कार्यालय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा म.प्र.

निविदा

चिकित्सा महाविद्यालय रीवा से सम्बद्व गांधी स्मारक चिकित्सालय/संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय रीवा में पी.पी.पी. मोड मे मैकेनाइज्ड लाण्ड्री की स्थापना एवं संचालन हेतु निविदा वर्ष 2019–20

कीमत रू. 5000/–
(रूपये पॉच हजार मात्र)

निविदा क्रमांक– 04/2019–20

ONLINE TENDER SCHEDULE

ई–निविदा विज्ञप्ति क. 04/2019–20

SEQ NO	SCHEDULE	START DATE & TIME	EXPIRY DATE & TIME	ENVELOPES
1	PURCHASE OF TENDER ONLINE	07-06-2019 11.00 AM	28-06-2019 5.00 PM	ENVELOPE A, ENVELOPE B
2	BID SUBMISSION ONLINE	07-06-2019 11.00 AM	28-06-2019 5.00 PM	
3	PHYSICAL SUBMISSION OF BID DOCUMENT	07-06-2019 11.00 AM	29-06-2019 5.00 PM	ENVELOPE A, ENVELOPE B
4	MANDATORY SUBMISSION OPEN	01-07-2019 12.30 PM	–	ENVELOPE A
5	TECHNICAL PROPOSAL OPEN	01-07-2019 12.35 PM	_	ENVELOPE B
6	FINANCIAL BID OPEN	Ik`Fkd ls lwpuk nh tkosxhA	_	

निविदा में मांगे गए दस्तावेजों की हार्ड कापी 29.06.2019 को सायंकाल 05.00 बजे तक स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक/स्वयं या अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित होकर कार्यालय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक,गांधी स्मारक चिकित्सीलय रीवा म.प्र. 486001 में जमा कर सकते है। पोस्टल विलम्ब के लिए कार्यालय किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नही होगा।

ई–मेलः– jdsupdtgmhrewa@rediffmail.com, Fax-07662–242104

संपर्कः– 07662–242104,+91–9179705483, +91–9644695933 +91–8827730393

निविदा प्रस्तुत करनें संबधी सामान्य निर्देशः–

प्रत्येक निविदादाता को निविदा के रूप मे 02 सील्ड लिफाफे **ए एवं बी** एक बड़े आउटर लिफाफे **सी** में सील्ड कर प्रस्तुत करने होगे।

लिफाफा ए में रखे जाने वाले अनिवार्य दस्तावेजों की सूचीः–

1. धरोहर राशि रूपये ***100000/–(एक लाख मात्र)*** ऑनलाईन। (सभी ऑनलाईन पेमेंट की रसीद की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।)

लिफाफा बी में रखे जाने वाले अनिवार्य दस्तावेजों की सूचीः–

1. मूल निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर एवं सील सहित।(Online purchased)
2. फर्म/दुकान की स्थापना के पंजीयन की छायाप्रति।

3. वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 (एसेसमेंन्ट ईयर 2017–18 एवं 2018–19) का आयकर रिटर्न जमा करने की सत्यापित छायाप्रति)
4. 100.00 राशि के नान जूडिसियल स्टेम्प पेपर पर मूल शपथ पत्र।
5. पैन कार्ड की छायाप्रति
6. जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति
7. ई.पी.एफ./ई.एस.आई. पंजीयन प्रमाण पत्र
8. वार्षिक टर्न ओवर संबंधी प्रमाण पत्र सी.ए. द्वारा जारी। (रू 10.00 लाख वार्षिक से कम नही होना चाहिये वर्ष 2017–18)

ई–निविदा के नियम एवं शर्तें

1. श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा से सम्बद्ध गांधी स्मारक चिकित्सालय/संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय रीवा में पी.पी.पी. मोड में मैकेनाइज्ड लाण्ड्री की स्थापना एवं संचालन हेतु प्रथम ई–निविदा वर्ष 2019–20 के लिए आंमत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र वेबसाईट *https://mptenders.gov.in/* पर ऑनलाईन भुगतान कर क्रय किये जा सकेंगे। इसे चिकित्सा महाविद्यालय रीवा की वेबसाइट *http://www.ssmcrewa.com* में भी देखा जा सकेगा।
2. आनलाईन निविदा जमा करने की निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त निविदाएं स्वीकार नही की जावेगी। आनलाईन निविदा फार्म क्रय करने का मूल्य रू. 5000.00 (पांच हजार मात्र) निर्धारित हैं यह राशि किसी भी दशा में वापसी योग्य नही है।
3. निविदा की अमानत राशि रूपये *100000/–(एक लाख मात्र)* का भुगतान ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किया जावेगा। निविदाकार को अमानत राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नही होगा।
4. निविदाकार को निविदा प्रपत्र एवं उसके साथ संलग्न कागजातों के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करना चाहिये।(Online purchased)
5. निविदाकर्त्ता द्वारा निविदा दो अलग–अलग लिफाफे **“A”** एवं **“B”** में जिसमे मांगे गये समस्त दस्तावेज रखकर सील बंद किया जावें, इन दोनों सीलबंद लिफाफों को लिफाफा सी (आउटर लिफाफा) के अंदर रखकर सीलबंद किया जावें। लिफाफा **“B”** में रखे सभी दस्तावेज क्रम संख्या में होना चाहिए।
6. संजय गाधी चिकित्सालय मे मैकेनिकलाईज लाण्ड्री जिसकी क्षमता 150 कि.ग्रा. कपड़ा प्रति घंटा हो उसकी स्थापना हेतु न्यूनतम 03 वर्ष अवधि का अनुबंध किया जायेगा। कार्य संतोषप्रद होने पर कार्य अवधि आगामी 03 वर्षो हेतु सहमति से बढ़ायी जा सकेगी।
7. चिकित्सालय मे पूर्व स्थापित एवं कार्यरत लाण्ड्री मशीनों 50 किलो ग्राम कपड़ों की क्षमता की 02 धुलाई मषीन , 25 किलो ग्राम कपडो की क्षमता की 02 धुलाई मशीनें , मषीनों से संलग्न 02 हाइड्रो एक्सट्रेक्टर, 01 प्रेस मशीन जिसमे कम्प्रेसर की आवष्यक्ता है तथा 02 ड्रायर मषीन 25 के.जी. क्षमता प्रत्येक को निविदाकर को अपने कार्य मे सम्मिलित करना

होगा तथा निविदा दरों को देते समय निविदाकार को चिकित्सालय की मषीनों के उपयोग को ध्यान मे रखते हुये दरे प्रस्तावित करनी होगी ।

8. निविदा दाता द्वारा प्रस्तावित प्लांट,मशीनरी एवं उसकी सूची के साथ उनका अनुमानित मूल्य एवं विस्तृत फ्लोर प्लान देना अनिवार्य है।
9. निविदादाता के द्वारा स्थापित किए जा रहे प्लांट की क्षमता इस प्रकार होनी चाहिए कि आपातकालीन स्थिति में चार घण्टे में वस्त्रों की लाण्ड्री उपलब्ध कराई जा सके।
10. निविदादाता को अस्पताल प्रबंधन द्वारा प्लांट स्थापित करने के लिए स्थान निःशुल्क उपलब्ध कराया जावेगा। प्लांट के संचालन के लिए सफल निविदाकार को उपयोग की जाने वाली बिजली हेतु स्वयं का सब मीटर लो.निर्माण विभाग की निगरानी में लगवाना होगा तथा लो.नि.विभाग द्वारा सबमीटर के आधार पर की गई बिजली खपत का सत्यापन अनुसार किराया स्वशासी निधि में जमा कराना होगा।
11. लाण्ड्री के संचालन हेतु कर्मचारियों की नियुक्ति निविदाकार द्वारा स्वयं करनी होगी, जिसका व्यय निविदाकार को वहन करना होगा। श्रम नियमों का पालन करना होगा। ई.पी.एफ./ई.एस.आई. जमा करने की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी। बाल श्रमिक कार्य पर नही रखे जाऐंगे।
12. प्रतिदिन उपयोग में आने वाले वस्त्रों की धुलाई का वास्तविक आधार पर भुगतान किया जावेगा।
13. यदि प्लांट एवं मशीनरी में कोई तकनीकी खराबी आती है तो वैकल्पिक व्यवस्था का उत्तरदायित्व निविदाकार का होगा एवं इस पर आने वाले व्यय का भार निविदाकार द्वारा वहन किया जायेगा। किसी भी दशा में लॉण्ड्री कार्य बंद नही किया जावेगा।
14. निविदादाता प्लांट के रखरखाव एवं मैन्टेनेन्स और उसके सफल संचालन के लिए स्वयं उत्तरदायीं होगा एवं उसकी चैंकिंग, मेन्टेन्स एवं अन्य प्रकार के रख रखाव या किसी खराबी के कारण कोई पार्ट्स लगाना पड़ता है तो सभी दशाओं में भुगतान निविदादाता को स्वयं वहन करना होगा।
15. निविदाकार को गुणवत्तायुक्त डिटर्जेंट पावडर एवं केमिकल्स उपयोग करना होगा।
16. निविदा स्वीकृत दिनांक एवं आवश्यक निर्माण कार्य से लेकर समस्त आवश्यक मशीनों की स्थापना कर लाण्ड्री कार्य प्रारंभ करने की अधिकतम अवधि तीन माह होगी।
17. चिकित्सालय के अलावा अन्य किसी भी संस्था के कपड़े धोते पाये जाने पर उस पर कार्यवाही करते हुए कपड़े जप्त कर अर्थदण्ड लगाया जावेगा। इस कार्य हेतु संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक द्वारा टीम गठित की जावेगी ।
18. लाण्ड्री कार्य हेतु आवश्यक ओवरहेड टैंक, पानी हेतु इनलेट आउटलेट कनेक्शन की व्यवस्था स्वयं निविदादाता को अपने व्यय पर करानी होगी।
19. सफल निविदाकार को लाण्ड्री कार्य में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मापदण्डो एवं नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा ।
20. निविदादाता को स्वयं के खर्चे पर एक टेलर रखना होगा, जिसका कार्य चिकित्सालय के फटे कपड़ों की सिलाई करना होगा।
21. प्लांट में कभी भी कोई दुर्घटना होने की स्थिति में तथा चिकित्सालय के वस्त्रों को नुकसान होने की स्थिति में उसकी वास्तविक कीमत की भरपाई निविदादाता द्वारा की जावेगी।

22. निविदाकार द्वारा रखे गये कर्मचारियों की सम्पूर्ण जवाबदारी निविदाकार की होगी। इस कार्यालय द्वारा किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि देय नही होगी और न ही इसके लिये निविदाकार मांग करेगा।
23. ठेके की अवधि समाप्त उपरांत निविदादाता को अपना संपूर्ण सेटअप हटाने हेतु अधिकतम 01 माह का समय दिया जावेगा। ठेके की समाप्ति उपरांत निविदादाता को परिसर रिक्त कर स्वच्छ हालत में परिसर तथा चिकित्सालय की पूर्व से स्थापित मशीनें कार्यरत स्थिति मे अस्पताल प्रबंधन को सौंपना होगा।
24. चिकित्सा महाविद्यालय एवं सम्बद्व संजय गांधी/गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा के अंतर्गत विभिन्न विभागों/वार्डो में उपयोग होने वाले वस्त्रों की लाण्ड्रीमय इस्त्री अनिवार्य रुप से करनी होगी।
25. स्वीकृत निविदादाता को निविदा स्वीकृति सूचना मिलने के पश्चात् अधिकतम 15 दिवस के भीतर अनुबंध निर्धारित प्रपत्र पर निष्पादित करना होगा।
26. निविदादाता अनुबंध अवधि के बीच में ही कार्य छोड़कर चला जाता है तो उसकी धरोहर राषि राजसात कर ली जावेगी,भविष्य में उक्त फर्म को इस चिकित्सालय के लिये ब्लेक लिस्टेड किया जावेगा ।
27. लाण्ड्री कार्य के देयकों का भुगतान मासिक आधार पर सत्यापन उपरांत किया जावेगा। बीच में निविदादाता को किसी भी प्रकार का अग्रिम नहीं दिया जावेगा।
28. निविदादाता को प्रतिदिन सुबह 09.30 बजे तक अनिवार्य रूप से वस्त्र वार्ड इंचार्ज सिस्टर से प्राप्त करना होगा। वस्त्रों की लाउण्ड्री पष्चात् अगले दिन सुबह 9.30 बजे तक उन वस्त्रों को डिलीवरी देना अनिवार्य होगा अन्यथा सेवा में त्रुटि मानते हुए आर्थिक दण्ड अधिरोपित किया जावेगा।
29. धुलाई के दौरान कोई वस्त्र खो जाता है अथवा कट फट जाता है तो नवीन वस्त्र के मूल्य की राशि के बराबर का कटौत्रा निविदाकर्ता के मासिक भुगतान में से किया जावेगा।
30. धुलाई के पश्चात् वस्त्रों की धुलाई तथा प्रेस कर प्रदाय करने की गुणवत्ता का समय–समय पर निरीक्षण किया जावेगा। यदि धुलाई कार्य में गुणवत्ता की कमी पाई जाती है या समय से कपड़े नही दिए जाते तो इस प्रकार प्राप्त धुले वस्त्रों का भुगतान नहीं किया जावेगा, तथा पुनः धुलाई करनी होगी। इस हेतु किसी भी प्रकार का पृथक से भुगतान नही किया जावेगा एवं डैमेज होने पर निविदादाता पर अर्थदण्ड भी अधिरोपित किया जावेगा।
31. सफल निविदाकार को अस्पताल में धुलाई हेतु वस्त्र प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की सूची नाम व उनके पते, फोटो, आधार नम्बर एवं मोबाईल नम्बर सहित सत्यापित कराकर निविदादाता को कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा साथ ही निविदादाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि उपरोक्त व्यक्तियों का नाम पुलिस विभाग के अपराधियों की सूची में न हो इस आशय का शपथ पत्र अनुबंध के साथ लगाना अनिवार्य होगा। कर्मचारी का ड्रेस कोड होना अनिवार्य होगा ।
32. निविदादाता वस्त्रों की गुणवत्तापूर्ण धुलाई करने में यदि असफल होता है तो उस स्थिति में कार्यालय द्वारा गठित समिति की अनुशंसा पर बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल प्रभाव से ठेका समाप्त कर दिया जावेगा व शेष अवधि का ठेका द्वितीय निविदाकार (एल–2) को दिया जावेगा। ठेके संधारण में यदि अधिक राशि व्यय करनी पड़ी तो स्वीकृत ठेके की अंतर राशि पूर्व निविदादाता (एल–1) से वसूल की जावेगी। साथ ही जमा धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी।

33. स्वीकृत निविदादाता की धरोहर राशि ठेका संचालन अवधि तक अमानत राशि के रुप में जमा रहेगी जो कि संचालन अवधि की सफलतापूर्वक समाप्ति उपरांत बिना ब्याज के वापिस की जावेगी।
34. लॉण्ड्री कार्य का देयक प्रत्येक वार्ड/ओ.टी. अनुसार पृथक–पृथक तैयार कर तीन प्रतियों में संबंधित वार्डों/ओ.टी इंचार्ज सिस्टर से सत्यापित कराकर ही प्रस्तुत करना होगा। तत्पश्चात् ही भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ की जावेगी।
35. निविदादाता निविदा शर्तों तथा अनुबंध पत्र की शर्तों का पालन नहीं करता है तो उसका ठेका निरस्त किया जाकर धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी एवं वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व निविदाकार का होगा।
36. किसी विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा का होगा जिसे निविदाकार को मान्य होगा।
37. यदि भविष्य में शासन द्वारा मैकेनाइज्ड लॉण्ड्री हेतु स्टाफ स्वीकृत किया जाता है या भारत शासन के उपक्रम हाइट्स को ठेका दिया जाता है, तो निविदाकार को 03 माह का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा जिसे निविदाकार को मान्य करना अनिवार्य होगा।
38. इच्छुक निविदाकार निविदा की शर्तों को भलिभांति पढ एंव समझकर ही दरें प्रस्तुत करें। सशर्त निविदा स्वीकार नही होगी।
39. समस्त विवादों के निराकरण हेतु न्यायालय क्षेत्र जिला न्यायालय रीवा होगा।

<u>दंड/अनुबंध का निरस्तीकरण–</u>

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के पास बिना कोई कारण बताए एक माह का नोटिस देकर ठेका समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
2. आर्थिक दंड बार–बार किए जाने के पश्चात् भी कार्य में सुधार नहीं होने पर निविदाकर्ता का ठेका निरस्त कर दिया जावेगा ।

संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा

चेक लिस्ट (लिफाफा बी में रखने हेतु

क्र.	निविदा के साथ अनिवार्य दस्तावेज	निविदाकार द्वारा टिक किया जावे एवं पृष्ठ क्र. दर्शाया जावें /फलैग लगाया जावे	क्रय समिति द्वारा किया जाये।
		हां/नही	हां/नही
1.	अमानत राशि रू. एक लाख ऑनलाईन जमा करने की रसीद की छायाप्रति		
2.	मूल निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर एवं सील सहित (Online purchased)		
3.	फर्म/दुकान की स्थापना के पंजीयन की छायाप्रति।		
4.	वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 (एसेसमेंन्ट ईयर 2017–18 एवं 2018–19) का आयकर रिटर्न जमा करने की स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रति)		
5.	100.00 राशि के नांन जूडिसियल स्टेम्प पेपर पर मूल शपथ पत्र		
6.	पैन कार्ड की छायाप्रति		
7.	जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति		
8.	ई.पी.एफ./ई.एस.आई. पंजीयन प्रमाण पत्र		
9.	फर्म का वार्षिक टर्न ओवर 10 लाख संबंधी अभिलेख जिसे सी.ए. द्वारा प्रमाणित किया गया हो वर्ष 2017–18 जाता है।		

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं सील

चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बद्व गांधी स्मारक चिकित्सालय/संजय गांधी समृति चिकित्सालय रीवा में पी.पी.पी. मोड पर मैकेनाइज्ड लाण्ड्री की स्थापना एवं संचालन हेतु निविदा वर्ष 2019—20

दर—सूची

(केवल ऑनलाईन भरी जावे)

क्रमांक	वस्त्र का नाम	प्रति नग दर अंकों में	प्रति नग दर शब्दों में
1	बेडशीट (चादर)		
2	ओटी मास्क		
3	ओ.टी. गाऊन		
4	ओ.टी.केप		
5	टॉवेल		
6	पर्दा		
7	तकिया कवर		
8	ड्रा शीट		
9	एप्रिन		
10	ओ टी शर्ट		
11	ट्राउजर्स		
12	साड़ी		
13	कंबल लाउण्ड्री		
14	कंबल ड्रायक्लीनिंग		
15	लैगिंग्स		
16	हैंड टॉवेल		
17	कुर्ता		
18	पायजामा		
19.	टेबल कवर		
	औसत दर		

नोटः—

1. GST की दर पृथक से अंकित करें।
2. सरल क्रमांक 01 से 19 तक में दी गई दरों के कुल योग के औसत दर पर जिसकी दरें न्यूनतम होगी उसी निविदाकार की दरें स्वीकार होगी।

दिनांक :—

हस्ताक्षर, निविदाकर्ता

स्थानः—　　　　　　　　　　　　　निविदाकर्ता का नाम ....

पता :—..

संस्था की सील :—...

100 रू0 (एक सौ रू.) के नॉन जूडिसियल स्टाम्प पेपर में प्रस्तुत करें

घोषणा पत्र (शपथ पत्र)

1. मै/हम भारत के नागरिक हूँ/है।
2. मै/हम भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार संविदा के लिये सक्षम हूँ/है।
3. मुझे/हमें चिकित्सालय मे तथा म.प्र. शासन के किसी विभाग द्वारा बहिष्कृत नही किया गया है हमारी संस्था को किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय/स्वशासी संस्था द्वारा काली सूची में नही रखा गया है।
4. मै/हम किसी ऐसे कान्ट्रेक्टर जो कि म.प्र. शासन के किसी विभाग द्वारा वहिष्कृत किया गया हो न तो अभिकर्ता हूँ/है और न ही उसके लिये कार्य करता हूँ/करते हैं।
5. मेरे/हमारे द्वारा निविदा की शर्तो के अलावा अन्य कोई शर्ते प्रस्तुत नही की गयी है। यदि अन्य कोई शर्ते प्रस्तुत की गयी है तो उसे अमान्य किया जाये।
6. मेरे/हमारे द्वारा इस निविदा में भरी मूल्य दर से कम मूल्य दर की निविदा म.प्र. राज्य के किसी संस्था या कार्यालय में प्रस्तुत नही की गई है।
7. मै/हम चिकित्सालय के किसी भी कर्मचारी संबंधित नही है।
8. मेरे/हमारे/संस्था के उपर राज्य सरकार/केन्द्र सरकार का कोई कर बकाया नही है।
9. हमारी संस्था के विरूद्व सी.बी.आई0/षासकीय कार्यालय इत्यादि में कोई जाचं लंबित नही है। ना ही सक्षम न्यायालय मे आपराधिक प्रकरण दर्ज है और न ही दण्डित किया गया है।
10. हमारे/मेरे द्वारा सप्लाई की गई मांग अनुसार गुणवता की जिम्मेवारी मेरी होगी।

गवाह के हस्ताक्षर

1. **गवाह का नाम.................................. ....व पता..**
2. **गवाह का नाम................................. ....व पता ....**

निविदाकार के हस्ताक्षर

संस्था के समक्ष अधिकारी का नाम...

पता..

संस्था का नाम एवं पता......................

..